

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई0एल0आर0
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जात्र की गई। जिसके अनुसार

मीनाजी लक्ष्मीबाई 114/78 34 खाला से. 36 मं. पावली की जाति
 34 मं. पावली की जाति सुपरी के बन्ना मं. पावली शिबू किशोरबाबू 34/114/78
 84 मं. पावली की जाति सुपरी के बन्ना मं. पावली शिबू किशोरबाबू 34/114/78

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

29-10-21
 114/78 (अ.सं. 34/114/78)

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अभिरक्षा की जाती है / की जाती है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :- 29/10/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू030) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू030) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	मंगपुरा	2071-78	34	मदगलाल पुत्र माला जातिगुल मा. देहरयातल	मदगलाल पुत्र माला जाति जाट सा. देह खालेवाल

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 552-553
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 29/10/21

1. तहसीलदार (भू030) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

को सूच्य
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

